न्यायालय् सिविल जज (जू0/डि0), अतर्रा बांदा

मूलवाद संख्या–30/2016

दिनांक–04.04.2022

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर वादीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। पत्रावली में आज की तिथि वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 48क2 व आपत्ति हेतु नियत है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र संख्या 48क2

प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रार्थनापत्र कागज सं0 48क2 दाखिल कर कथन किया है कि उक्त वाद में प्रतिवादी सं0 1 भगवानदीन की मृत्यु दौरान वादलम्बन दिनांक 03.04.2021 को हो गयी है, जिससे प्रतिवादी सं0 1 के वारिसों को प्रतिस्थापित करते हुये वादपत्र में संशोधन करते हुये भगवानदीन के आगे 1/1 कंचनिया, 1/2 सर्वेश कुमार, 1/3 कमलेश लिखने की याचना की गयी है। प्रतिवादी सं0 1 के शेष वारिस प्रतिवादी सं0 2 लगायत 5 पहले से ही पक्षकार मुकदमा हैं। प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है।

प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम कागज सं0 49ग2 दाखिल कर प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

चूंकि प्रतिवादी सं0 1 भगवानदीन की मृत्यु दौरान मुकदमा हो चुकी है तथा उसके विधिक वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाया जाना न्यायोचित प्रतीत हो रहा है। प्रार्थीगण द्वारा प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र दिनांक 01.11.2021 को प्रस्तुत किया गया था, चूंकि प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है, जबकि प्रतिस्थापन पर आपत्ति हेतु प्रतिवादीगण को कई अवसर प्रदान किये जा चुके हैं। वादपत्र में मृतक प्रतिवादी सं0 1 के स्थान पर उनके विधिक वारिसान को प्रतिस्थापित कर मृतक के सामने दौरान मुकदमा फौत लिखने का संशोधन करना मात्र एक औपचारिक प्रकृति है, विलम्ब की पूर्ति हर्ज से की जा सकती है, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र 48क2 हर्जे पर स्वीकृत किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम को स्वीकृत करते हुये प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र 48क2 हर्जा 100/– रूपये पर स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थीगण वादपत्र 4क1 में वांछित संशोधन अन्दर पन्द्रह दिवस करें। बाद संशोधन पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 06.07.2022 को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0) अतर्रा
बांदा ।